भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1765

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

.....

औद्योगिक प्रदूषण

1765. श्री अजय कुमार मंडल:
श्रीमती पूनमबेन माडम:
डॉ. सुभाष सरकार:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के उद्योग और कारखाने नदियों में अशोधित अपशिष्ट प्रवाहित करके नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उद्योगों में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या दिशानिर्देश तथा अनुदेश दिए गए हैं और उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए मौजूद निगरानी तंत्र ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक अपशिष्टों और कचरे के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रदूषणकारी उद्योगों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है और ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या हैं; और

(च) नदियों में उद्योगों द्वारा प्रदूषण और बहाए जाने वाले अन्य अपशिष्टों के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में नदियों की सफाई के लिए सरकार द्वारा कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ड.): देश में नदियां, शहरों/नगरों से अशोधित एवं आंशिक शोधित सीवेज और औद्योगिक बहिस्राव के कारण मुख्यतः प्रदूषित होती हैं। प्रदूषण के गैर-बिंदु स्रोत जैसे कृषि अपवाह, खुले में शौच, ठोस अपशिष्ट डंप स्थलों से अपवाह आदि भी नदियों को प्रदूषित करते हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबीएस)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसीएस) के साथ मिलकर निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर की नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी करता है। सितंबर, 2018 की सीपीसीबी के रिपोर्ट के अनुसार, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) स्तर, आर्गेनिक प्रदूषण का एक संकेतक, के अर्थ में मॉनीटरिंग परिणामों के आधार पर 323 नदियों पर 351 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की गई है।

सीपीसीबी के अनुसार, देश में कुल 2968 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग (जीपीआई) हैं, जो नदियों सहित विभिन्न जल निकायों में अपने अपशिष्ट का बहिस्राव कर रहे हैं। इन 2968 उद्योगों में से, 2318 उद्योग चल रहे हैं और 650 उद्योग स्वतः बंद हो गए हैं। अनुपालन करने वाले और अनुपालन न करने वाले उद्योगों की संख्या क्रमशः 2190 और 128 है। 15 उद्योगों के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है जबकि 2 उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। अनुपालन न करने वाले 56 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 55 उद्योगों को बंद करने संबंधी निदेश जारी किए गए हैं। देश में जीपीआई यूनिटों की राज्य-वार स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है।

पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों को, जल निकायों में बहिस्राव से पहले निर्धारित पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन करने के लिए, अलग से अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी) स्थापित करना अथवा कॉमन अपशिष्ट शोधन संयं (सीईटीपी) के माध्यम से अपने अपशिष्ट का शोधन आवश्यक है। तदनुसार, सीपीसीबी, एसपीसीबी और पीसीसी, अपशिष्ट निस्सरण मानकों के संबंध में उद्योगों की नियमित मॉनीटरिंग करते हैं और इन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अनुपालन न करने के मामले में कार्रवाई करते हैं।

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट के बहिस्राव का नियंत्रण करने के लिए सीईटीपी की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(च): सरकार द्वारा नदियों में अपशिष्टों के बहिस्रावों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ उद्योग विशिष्ट निस्सरण मानकों की अधिसूचना को जारी करना, उद्योगों के वर्गीकरण के लिए मानदंड में संशोधन और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को इसे अपनाने के लिए दिशा निर्देश जार , एसपीसीबीएस/पीसीसीएस द्वारा इसकी स्थापना के लिए सहमति जारी करने/प्रचालन की सहमति, तृतीय पक्ष तकनीकी संस्थानों के माध्यम से अनुपालना सत्यापन के लिए सीपीसीबी द्वार सघन प्रदूषक उद्योगों (जीपीआईएस) का नियमित निरीक्षण, बहिस्राव गुणवत्ता के आकलन के लिए ऑनलाइन सतत बहिस्राव मॉनीटरिंग प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना शामिल है। इस अतिरिक्त, उद्योगों को प्रौद्योगिकीय प्रगति द्वारा उनके अपशिष्ट जल सृजन , अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग/रिसाईकिल करने और जहां संभव हो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सीपीसीबी ने जल निकायों की बहाली के लिए सभी राज्यों को सूचक दिशा-निर्देश भी परिचालित किए हैं।

नदियों की सफाई और संरक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रकिया है और केन्द्र सरकार, नमामि गंगे और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नदियों के संरक्षण की चुनौतियों के समाधान के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता कर रही है। एनआरसीपी ने अब तक 5969.90 करोड़ रुपए की संस्वीकृत लागत से देश में 16 राज्यों में फैले 77 कस्बों में 34 नदियों के प्रदूषित खंडों को कवर किया है और 2522.03 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, अब तक 29,571 करोड़ रुपए की लागत पर कुल 333 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 140 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और

प्र□□□□ कर रही हैं। 333 परियोजनाओं में से 154 परियोजनाएं सीवरेज सेक्टर की हैं जिनके तहत 3785 एमएलडी की नई सीवेज शोधन क्षमता के सृजन के साथ 1081 एमएलडी शोधन क्षमता का पुनर्वास और 5066 किमी. का सीवरेज नेटवर्क तैयार किया जाना है। पश्चिम बंगाल में, नमामि गंगे □□□□□ 869 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता सृजित करने के लिए 23 सीवेज परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी नवीकरण और रूपांतरण अ□□ मिशन (□□□) और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन भी किया जा □□□ □□

□□□□□□□□, □□ □□673/2018 में माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन में, पश्चिम बंगाल सहित संबंधित राज्य कार्य योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं (इनमें उन्हें संबंधित राज्यों में नदियों के चिन्हित प्रदूषित खंडों में जल गुणवत्ता की बहाली के लिए औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य योजनाएं शामिल हैं।

****

अनुबंध-I

"औद्योगिक प्रदूषण" के संबंध में 11 फरवरी, 2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1765 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (जीपीआई) की स्थिति

क्र.[illegible]	[illegible]/[illegible]	उद्योगों की कुल संख्या	स्वयं बंद हुए उद्योगों की संख्या	चालू उद्योगों की संख्या	पर्यावरण मानदंडों का [illegible] वाले उद्योगों की संख्या	पर्यावरण मानदंडों [illegible] करने वाले उद्योगों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिनके विरुद्ध पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन न किए जाने के लिए कारवाई की जा रही है।			
							जारी किए [illegible] नोटिस	[illegible] निदेश जारी किए गए	[illegible]	कार्रवाई की जा रही है
1	[illegible] निकोबार	2	0	2	1	1	0	1	0	0
2	आंध्र प्रदेश	198	5	193	189	4	4	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	97	8	89	63	26	3	23	0	0
4	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	84	34	50	50	0	0	0	0	0
6	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	2	0	2	1	1	0	1	0	0
8	दमन एव दवीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	3	0	3	3	0	0	0	0	0
10	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	[illegible]	22	4	18	18	0	0	0	0	0
12	हरियाणा	627	27	600	594	6	0	6	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	69	0	69	66	3	3	0	0	0
15	[illegible]	45	6	39	5	34	14	10	2	8
16	कर्नाटक	4	0	4	4	0	0	0	0	0
17	[illegible]	29	1	28	27	1	0	1	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	2	0	2	2	0	0	0	0	0
20	महाराष्ट्र	4	1	3	3	0	0	0	0	0
21	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	[illegible]	2	0	2	2	0	0	0	0	0
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ओडिशा	6	0	6	6	0	0	0	0	0
26	पुडुचेरी	3	0	3	3	0	0	0	0	0
27	[illegible]	5	0	5	2	3	3	0	0	0
28	राजस्थान	1	0	1	1	0	0	0	0	0
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	तमिलन[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	[illegible]	3	1	2	2	0	0	0	0	0
32	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	उत्तर प्रदेश	1648	560	1088	1047	41	22	13	0	6
34	उत्तराखंड	64	0	64	60	4	4	0	0	0
35	वेस्ट बंगाल	48	3	45	41	4	3	0	0	1
[illegible]		2968	650	2318	2190	128	56	55	2	15

□□□□-II

"औद्योगिक प्रदूषण" के संबंध में 11 फरवरी, 2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1765 □□□□□ (□) □□(□.) **के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II**

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कॉमन अपशिष्ट शोधन संयंत्रों के लिए जारी की गई निधियों का राज्य-□□□ विवरण

क्र.□□	राज्य का नाम	जारी निधि करोड़ में			
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21 (□□ □□)**
1	□□□□	3.50	6.13	6.25	18.58
2	□□□□□	-	-	1.26	-
3	उत्तर प्रदेश	-	-	49.67	47.40
□□□		**3.50**	**6.13**	**57.18**	**65.98**

*****